


छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
::मंत्रालय महानदी भवन,::
अटल नगर रायपुर, 492002

// अधिसूचना //

अटल नगर, रायपुर, दिनांक- 11.02.2019

कमांक-15-68/2017/नौ/55-तीन(पार्टी):: औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का सं. 23) के अधीन बनाये गए औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 2 के खण्ड (ड. ड) के उप खण्ड (तीन) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एवं इस विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 2-45/2013/नौ/55-तीन, दिनांक 24 अगस्त 2017 को अधिकमित करते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का सं. 48) की द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा पद्धति में अर्हता धारक और जो छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी एवं प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, 1970 (1971 का नं. 5) के अधीन आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति में पंजीकृत हो, को आधुनिक चिकित्सा पद्धति, जिसे एलोपैथिक मेडिसीन के रूप में भी जाना जाता है से उपचार के लिए संलग्न अनुसूची में उल्लेखित औषधियां विहित करने हेतु पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के रूप में घोषित करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(ए.पी.त्रिपाठी)

विशेष सचिव


छत्तीसगढ़ शासन

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अटल नगर, रायपुर दिनांक

कमांक-15-68/2017/नौ/55-तीन(पार्टी):: भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड के (3) के अनुसरण में इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 11.02.2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



विशेष सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

-: अनुसूची :-

छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति के पंजीकृत चिकित्सकों द्वारा लिखी जा सकने वाली औषधियां।

क्र०	चिकित्सकीय उपयोग	औषधि
1.	एन्टासिड्स	एच-2 रिसेप्टर ब्लॉकर, प्रोटोन पम्प इनहिबिटर
2.	एन्टी हेलमिन्थिक	एल्बेन्डाजाल, मेबेन्डाजाल
3.	एन्टीएम्बिक ड्रग्स एवं एन्टीप्रोटोजोअल ड्रग्स	मेट्रोनिडाजाल, डायलाक्सेनाइड फ्यूरोएट, टिनिडाजाल, आरनिडाजाल, ओ.आर.एस.
4.	विटामिन्स एण्ड हीमेटिनिक्स	सभी विटामिन्स एवं हीमेटिनिक्स
5.	एनालजेसिक्स	एस्पिरिन, डायक्लोफेनेक सोडियम
6.	एन्टी-इमेटिक्स	प्रोमेथाजाइन, ओडेनसेट्रोन, डोमपेरिडान
7.	एन्टी ऐलर्जिक (एन्टी हिस्टामाइन)	सेट्रिजिन, लीवोसेट्रिजिन
8.	लेक्जेक्टिस	बिसाकोडिल, मिल्क आफ मेगनिसिया
9.	एक्सपेक्टोरेन्ट	टरब्यूटालिन, मुफनसिन
10.	एन्टी बायोटिक्स	कोट्राईमोक्साजाल, नारफलाक्सासिन, जेन्टामाइसिन, सिफेलोस्पोरिन, इरेथोमाइसिन, नाइट्रोफ्यूरोन, एमपीसिलिन
11.	क्विक आबस्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजिस (सी.ओ.पी.डी.) अस्थमा	एमाक्सीसिलिन, सालब्यूटामाल विथ बूबसोनाइड-नेबूलाईजेशन
12.	ट्रामाकेयर और मैनेजमेंट ऑफ इनज्यूरिस	डायक्लोफेनेक, जेन्टामाइसिन, मेट्रानिडाजोल, इनजेक्शन टी.टी., रिजर लेक्टेट, 5% ग्लूकोज, नार्मल सेलाइन
13.	ब्रांकोडायलेटर्स	सालब्यूटामाल, थियोफाइलिन, अमिनोफाइलिन
14.	डाइयूरेटिक्स	फुसेमाइट, थियोफाइलिन, अमिनोफाइलिन
15.	एन्टी मलेरियल ड्रग्स	क्लोरोक्वीन, पायरिमेथामिन, सल्फाडाक्सीन, आर्टीमेथर, आर्टीसूनेट, प्रिमाक्वीन, राष्ट्रीय कार्यक्रम की अनुशंसा अनुरूप।
16.	एन्टी -ट्यूबरकूलर ड्रग्स	डेप्सोन, रिफाम्पिसिन, पाइराजिनामाइट, इथामब्यूटाल राष्ट्रीय कार्यक्रम की अनुशंसा अनुरूप।
17.	एन्टीलेप्रोसी ड्रग्स	डेप्सोन, रिफाम्पिसिन, क्लोफाजिमिन राष्ट्रीय कार्यक्रम की अनुशंसा अनुरूप।
18.	एन्टी स्केबिस	बेनजाल बेन्जोएट, गामोबेन्जिन हेक्साक्लोराइड
19.	टापिकल एन्टीफंगल	मइकोनाजाल कीम 1 प्रतिशत
20.	आईड्राप्स या आईटमेन्ट	स्टेरॉयड के बिना
21.	इयरड्राप्स	स्टेरॉयड के बिना
22.	एन्टी डायरियल	नारफलाक्सासिन, रेसिकाडोटिल

५

—: महत्वपूर्ण निर्देश :—

1. प्राथमिक उपचार/प्रारंभिक चिकित्सा उपरांत गंभीर रोगियों को तत्काल उपचार हेतु उच्च चिकित्सा केन्द्र में रिफर किया जावे।
2. नहीं की जाने वाली प्रक्रियायें
 1. मेडिकोलिगल केसेस
 2. पोस्टमार्टम
 3. शिशु रोगों हेतु इंस्ट्रामस्कूलर सिफेलोस्पोरिन, ओरल बिटामिथासोन ड्राप्स, इंटाविनस एन्टीबायोटिक्स इन ओ.पी.डी सिटिंग।
 4. नेत्र रोगों में स्टेरॉयड से युक्त आई ड्रॉप या आई आइंटमेंट नेत्रों में लगाना वर्जित है।
 5. केन्द्र सरकार/राज्य शासन/सक्षम अधिकारी द्वारा उपरोक्त में से किसी औषधि को प्रतिबंधित किया जाता है तो उसका वर्जित होगा।
 6. आवश्यकतानुसार सूचीकृत औषधियों का पुनरीक्षण किया जा सकेगा।




Government of Chhattisgarh
Health and Family Welfare Department
Mantralaya
Mahanadi Bhavan, Atal Nagar Raipur 492002

Notification

Atal Nagar, Raipur, date 11.02.2019

No. 15-68/2017/9/55-3(P) In exercise of the powers conferred by sub- clause (III) of Clause (ee) of Rule 2 of the Drugs & Cosmetics Rules 1945, made under the provision of the Drugs & Cosmetics Act, 1940 (No. 23 of 1940) and in supersession of this department's Notification No. F 2-45/2013/LX/55/Three dated 24th August 2017, the State Government hereby, declares the degree holders of Ayurveda and Unani system of Medicine included in the Second Schedule of Indian Medicine Central Council Act, 1970 (No. 48 of 1970) and are registered under the Chhattisgarh Ayurvedic, Unani Tatha Prakritic Chikitsa-Vyavsayi Adhiniyam, 1970 (No. 5 of 1971) as, registered medical practitioners to prescribe the Modern System of Medicine as mentioned in the Schedule.

**By order and in the name of the
Governor of Chhattisgarh**



(A.P. Tripathi)

Special Secretary

Govt. of Chhattisgarh
Department of Health & Family Welfare

Schedule

Drugs that can be Prescribed by A Registered Ayurvedic or Unani practitioners within State of Chhattisgarh

S.No.	Therapeutic Use	Medicines
1	Antacids	H-2, receptor blocker, proton pump inhibitors
2	Anti Helminthic	Albendazole Mebendazole
3	Anti Amoebic Drugs and Anti Protozoal Drugs	Metronidazole, Diloxanide, Furoate, Tinidazole, Ornidazole, O.R.S.
4	Vitamins and Hematinics	All Vitamins and Hematinics
5	Analgesics	Aspirin, Diclofenac Sodium
6	Anti-emetics	Promethazine, Ondansetron, Domperidone
7	Anti-Allergic (Anti Histamine)	Cetirizine, Levocetirizine,
8	Laxatives	Bisacodyl, Milk of Magnesia
9	Expectorants	Terbutaline, Guaifenesine
10	Antibiotics	Cotrimoxazole, Norfloxacin, Gentamicin, Cephalosporin erythromycin, Nitrofurantoin Ampicillin
11	Chronic Obstructive Pulmonary disease (C.O.P.D.), Asthma	Amoxicillin, Salbutamol with budesonide-Nebulization
12	Trauma care and Management of injuries	Diclofenac, Gentamicin, Metronidazole, Injection T.T., Ringer Lactate, 5% Glucose, Normal saline
13	Bronchodilators	Solbutamol, Theophylline Aminophylline
14	Diuretics	Furosemide, Spironolactone, Acetazolamide
15	Anti Malarial Drugs	Chloroquine, Pyrimethamine, Sulfadoxine, Artemether, Artesunate, Primaquine, As per recommendation of National Programme
16	Anti Tubercular Drugs	Isoniazid, Rifampicin, Pyrazinamide, Ethambutol, As per recommendation of National Programme
17	Anti Leprosy Drugs	Dapsone, Rifampicin, Clofazimine, As per recommendation of National Programme
18	Anti Scabies	Benzyl benzoate, Gamma Benzene Hexachloride
19	Topical Anti Fungal	Miconazole, Cream 1%
20	Eye Drops or Ointment	Without Steroid
21	Ear Drops	Without Steroid
22	Anti Diarrhoea	Norfloxacin, Racecadotril



Important Instructions

- 1 Referral of Serious patients to higher Centers after initial management/first aid**
- 2 Procedure not to be performed**
 - I. Medicolegal cases**
 - II. Postmortem**
 - III. Intramuscular, Cephalosporin Betamethasone Oral drops, Intravenous Antibiotics in O.P.D. Sitting for pediatric Patients**
 - IV. Steroids Eye drops or eye ointments use are prohibited In Eye diseases.**
 - V. If Use of any of the above mentioned drugs is Prohibited by the Central Government/ State Government /Competent Authority.**
- 3 The list of Drugs will be Reviwed as neccessary**

A handwritten mark consisting of a vertical line with a hook at the top and a horizontal line at the bottom, resembling a stylized signature or a checkmark.